राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग

क्रमांकः प. 1 (59)/एम.ई/ग्रुप–1/1996 जयपुर, दिनांकः 23/8/17

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने निम्नांकित अभ्यर्थी को **वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री** के पद पर वेतन श्रृंखला 15600–39100 (ग्रेड–पे रू0 5400/–) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 एवं क्रमांक एफ.14(1)एफडी/रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 26,670/– प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी/रूल्स/06 दिनांक 03.07.2014 के तहत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज मे नियुक्ति प्रदान करते है :–

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग जिसमें चयन हुआ	पदस्थापन स्थान	वर्ग जिसमें चयनित हुआ
1	डॉ0 रमेश कुंजुन्नी पुत्र श्री कुंजुन्नी पी0 पताः– मरमगढ इल्लम उमा नगर, कोडनथिरापुली, पो0 पलाक्कड, केरल। 678004	एम–09	26.05.1983	GEN	मेडिकल कॉलेज, कोटा।	GENM

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्वति एवं प्रावधान, शर्तो, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प.8(1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावें शासित होगें।

उपरोक्त चिकित्सकों के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता का परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सकों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तो के तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन होगी।

आदेश से

(रतन लाल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 07 (36) भर्ती "ख"/2013–14 /388 दिनांक 29.06.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा, राजस्थान।
6. संबंधित अभ्यर्थी को **रजिस्टर्ड डाक द्वारा**।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

23/8/17
(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव